



बनाम १५ ग्राम पंच. लुहाकना नम्बर १३५

106/2016 प्रारम्भ स्थगन

१ अथ

संख्या १०५/२०१६
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

09-2-18 वकील उभयपक्ष 30/1
वाक्य पेश के जवाब प्रारम्भ स्थगन
दिनांक 10, 11, 13 दिनांक
16-3-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

16-3-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित।
जवाब प्रारम्भ को अवसर-पक्ष 10, 11, 13
अप्रार्थना हेतु दिनांक 25-4-18
को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 वकील उभयपक्ष उपस्थित।
जवाब प्रारम्भ को अवसर-पक्ष
गत आदेश की लागू में दिनांक
17-5-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

17/05/2018

पत्रावली राजस्व लोक अदालत
में पेश हुई। हस्तगत स्थगन
प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामा-
कार्यवाही सं. 66 दिनांक 19-10-16

कार्यवाही

ग्राम पंचायत लुहाकना नम्बर 116/
2016 के संलग्न पेश है। मूल
अपील में प्रत्यर्थागत ने प्रार्थना
पत्र वाक्य कन्सोलिडेशन पेश
किया है, जिसका जवाब उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

6F


फर्द अहकाम
 पनवारी को बनाम V/S ग्राम पंचायत
 लुहाकना कोट

नाम न्यायालय
 केस संख्या

उपखण्ड अधिकारी
 किराटनगर (जयपुर)
 116/20/6

ग्राम पंचायत

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
-------------	---------------------------	----------------------	-------



है। यह भी कि ग्राम पंचायत की तरफ से जवाब पेश हो चुका है हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का निवेदन रहा कि ग्राम लुहाकना फुर्द के ख. नं. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 कित्ता 9 एकड़ 7.07 हेक्टेयर की शकतेदारी भगवान सहाय के नाम दर्ज रही है। भगवान सहाय ने अपीलार्थीगण के पक्ष में दिनांक 22.03.2002 को वकील पंजीकृत कराकर उक्त आराजी का मालिक व वारिस बनाया है। ग्राम पंचायत ने अपीलार्थी को बिना सुने व वकील की अनुमति के बिना ही न्यायकथित नामान्तकरण दर्ज किया है, जो विधि विरुद्ध है। अपीलार्थीगण आराजी को बचाने के लिए आया है। अतः इसे पाबंद करवाया जावे। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध डाकवेजों का अवरोधन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों पर मनन किया गया। मृतक भगवान सहाय ने आराजी जेरकट एवं अन्य सम्पत्ति के संबंध में वकील पंजीकृत दिनांक 22/03/2002

कि. 12

फर्द अहकाम

वनवाणी कोर्ट बनाम V/S ग्राम पंचायत लुहाकन
कोर्ट

लय

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

11/6/2016 प्राथमिक पत्र लखन

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
---------------------------	----------------------	-------------

अहकाम अपीलार्थी निष्पादित कर रखी है, जबकि पंचायत ने नामान्तरण सं. 661 दिनांक 19/10/16 अल्प के नाम खोला है। प्रशासन के मध्य मूल विवाद आराजी मुतनाजा व अल्प समान्ति काबूत है। यह भी कि आराजी मुतनाजा से संबंधित अल्प वाद मु.नं. 61/2017 डनवाणी सुरेश बनाम छीतर विन्याराधीन जिसे के कंसोलिडेशन का प्राथमिक पत्र पेश है। अतः हस्तगत अपील के न्यायपूर्ण निस्तारण तक अपीलार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम लुहाकन के ख.नं. 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति कायम रखें। आदेश मजदूरी आज दिनांक 17/5/2018 को सुनाया गया।



17/5/18
पीठासीन अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार-2018
उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)